न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्रवणलाल बनाम भागचंद वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 323/2025 (पुष्कर)

प्रिता
2/7/25

	श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी	
02.07.2025	श्रवणलाल बनाम भागचंद वगैरह (2025/323) यह अपील श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 58/2025 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र बाबत निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था तथा अपीलांटस द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि विवादित आराजीयात अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिसे रेस्पोडेन्टस ने अपने नाम दर्ज करवा लिया गया अब अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने, विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण कार्य कराने पर आमादा है, जिन्हे पाबंद किया जावे। जिस बाबत वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेन्टस को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 30.06.2025 में प्रकरण अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर मात्र रेस्पोडेन्टस को अनावश्यक लाभ प्रदान करते हुए आगामी पेशी प्रदार कर रेस्पोडेन्टस को विवादित आराजीयात बाबत रहन, बय, मुंतकिल एवं अन्यत्र हस्तांतरण किये जाने एवं निर्माण कार्य कराने की खुली छूट प्रदार कर दी। उक्त आक्षेपित आदेश की आड में अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वे वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल नहीं करें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2025 को प्रार्थना को दर्ज कर अपीलांट/प्रार्थी को सुना जाकर प्रथम दृष्टया अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का नही बनना जाहिर करते हुए विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी में वादग्रस्त आराजीयात स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 713 बेचान किया जाना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।
माननीय उच्चतर न्यायालयो ने भी अपने अनेको न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रसस्त आराजीयात को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पक्षकारान के बीच विवादित आराजीयात के संदर्भ में सद्भाविक वाद–विवाद मौजूद है। अतः प्रकरण में वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से एवं वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखने हेतु उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजीयात का आगे हंस्तान्तरण/बेचान नहीं करने हेतु पावंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियन का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें तब तक विवादित आराजीयात को अन्यत्र रहन, बेचान हस्तातंरण नहीं करने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner